रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 1995/पौष 8, 1917
No. 235] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 1995/PAUSA 8, 1917

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 29 दिसंबर, 1995

फा.सं. 13(24) 95—एस.एस.आई. (पी) :—भारत में लघु उद्योगों के संवर्धन के लिये सरकारी सहायता प्रदान करने हेतु गत चार दशकों में नीतियों, कार्यक्रमों और संस्थाओं का एक विस्तृत सेट विकसित किया गया है। इस बीच, सरकार ने औद्योगिक और व्यापार नीति सुधारों सहित आर्थिक सुधारों के एक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है जिसके उद्देश्य अफसरशाही नियंत्रण और रक्षावादी उपायों को समाप्त करना, उद्यमिता संबंधी निर्णय करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिये बाजारी शक्तियों को अपेक्षाकृत अधिक भूमिका अदा करने का अनुमति देता रहा है। सार्वभौमिकरण और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन भी प्रमुख शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं जो अगले दशक और इसके बाद के समय में लघु उद्यमों और उद्यमिता के लिये वातावरण में सुधार करेंगे और उसे उसके अनुरूप बनायेंगे। लघु उद्यम सेवा क्षेत्र की कई शाखाओं में रोजगार प्रदानकर्ताओं और निर्यातोन्मुख विकास के अंशदाताओं के रूप में तीव्रता से उभर रहे हैं जिससे इस विचार पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि लघु उद्यम विकास संबंधी नीतियां विनिर्माणकारी क्षेत्र पर ही केन्द्रित होनी चाहिए। अतः विद्यमान नीतियों में सुधार करने और लघु और मझौले उद्यम (एस एम आई) विकास के लिये नई नीतियां बनाना भी अति आवश्यक है जिनसे जीव्यक्षम और कार्यकुशल उद्यम को सुविधा मिलेगी जो अपने आपको प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के अनुकूल बना सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक रह सकेंगे।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि "लघु उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति" का गठन किया जाये जो इन मुद्दों की गहराई से जांच-पड़ताल करेगी और अपनी सिफारिशें सरकार को देगी। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. श्री आबिद हुसैन —अध्यक्ष
(पूर्व सदस्य, योजना आयोग)
2. डा. आर.ए. मशेलकर, —सदस्य
महानिदेशक,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
3. श्री एच सी गांधी, —सदस्य
(पूर्व सचिव, तकनीकी विकास,
उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
4. श्री जे.वी. शेट्टी, —सदस्य
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,
केनरा बैंक
5. डा. जे.एस. संदेसार —सदस्य
अवैतनिक प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग, बंबई विश्वविद्यालय

6. डा. वी. जी. पटेल, —सदस्य
निदेशक,
उद्यमियता विकास संस्थान,
अहमदाबाद

7. डा. शैलेन्द्र नारायण, —सदस्य
प्रबंध निदेशक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

8. श्री एस. ए. टी. रिज्वी, —सदस्य
विकास आयुक्त (लघु उद्योग),
भारत सरकार

9. डा. राकेश मोहन, —सदस्य-सचिव
आर्थिक सलाहकार,
उद्योग मंत्रालय

समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं :—

(1) लघु उद्योग के विकास के लिए संवर्धनात्मक तथा संरक्षणकारी नीतियों व प्रत्यक्ष सहायता कार्यक्रमों की जांच करना, उनके प्रभाव तथा क्षमता का मुल्यांकन करना और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों तथा हाल ही में की गयी आर्थिक नीतियों में सुधार को ध्यान में रख कर भारतीय अर्थव्यवस्था में कुशल, जीवंत तथा गतिशील लघु उद्यम क्षेत्र का सृजन करने के लिए उचित परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देना ।

(2) लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा, कानूनी ढांचा और बाहरी संरचना की समीक्षा करना और उपरलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यथोचित परिवर्तन कराने के लिए सिफारिश करना और विशेष करके यह परामर्श देना कि लघु फर्मों जैसे कि ग्रामोद्योग तथा आधुनिक लघु उद्योग के विभिन्न खंडों को क्या उसी नीतिगत पैकेज के दायरे में शामिल किया जाए या उनके विभिन्न स्वरूपों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कोई अलग नीति निर्धारित की जाए।

(3) लघु उद्योग आरक्षण नीति की कार्य-क्षमता और वांछनीयता की जांच करना और जीवनक्षमता, कार्य-क्षमता, प्रतिस्पर्धा, और तकनीकी परिवर्तनों के प्रस्तुतीकरण और प्रगति और उसके लिए उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करने की दृष्टि से लघु उद्यमों के विकास पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन करना।

(4) अंतरराष्ट्रीय अनुभव के आधार पर यह परामर्श देना कि क्या लघु उद्योग विकास नीतियों को विनिर्माणकारी क्षेत्र के लिए ही सीमित रखा जाए अथवा इनमें व्यावसायिक व सेवा कार्यकलापों में रत लघु उद्यमों को भी शामिल किया जाए।

(5) लघु उद्यमों की गुणवत्ता, अनुरूपता तथा विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से उनके आंकड़े एकत्र करने, संकलन करने, प्रसार करने तथा विश्लेषण करने के वर्तमान प्रबंधों तथा स्रोतों की जांच करना और उचित सुझाव देना।

(6) लघु व मझौले उद्यमों (एस.एम.ई.) को प्रौद्योगिकीय तथा तकनीकी सूचना का हस्तांतरण तथा प्रसारण करने के लिए वर्तमान संस्थागत प्रबंधों की समीक्षा करना, उपलब्ध परामर्शदायी और विस्तार सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, इन्हें अधिकाधिक गैर-सरकारी संगठनों तथा निजी सेवा (परामर्शदायी) क्षेत्र के तहत रखने की आवश्यकता व संभाव्यता की जांच करना और उचित सुझाव देना।

(7) लघु उद्यमों की दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा संस्थागत प्रबंधों व नीतियों तथा कार्यक्रमों की जांच करना, विशेषकर के नवीन तथा प्रौद्योगिकी उन्मुख फर्मों तथा प्रथम सृजक उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अन्य सफल अर्थ व्यवस्थाओं में अपनाई जा रही पद्धतियों व नियमों को ध्यान में रखकर उनकी क्षमता की जांच करना, उचित सुझाव देना।

(8) लघु उद्यम विकास पर विभिन्न राजकोषीय नीतियों तथा कर रियायतों के प्रभाव की समीक्षा करना, छोटी फर्मों को अपने संभाव्यों का पूर्ण उपयोग करने और उन्हें मध्यम बड़े उद्यमों के रूप में विकसित होने योग्य बनाने में इन नीतियों तथा रियायतों की भूमिका का अध्ययन करना तथा उपयुक्त सिफारिशें देना।

(9) लघु फर्मों पर विभिन्न नियंत्रणकारी कानूनों जैसे श्रम कानूनों फैक्टरी अधिनियमों, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रभावों तथा इन कानूनों और कार्यविधियों के तहत उक्त उद्यमों की विभिन्न शर्तों को पूरा करने की क्षमता का अध्ययन करना तथा उपर्युक्त सिफारिशें देना।

(10) कानूनों में परिवर्तन करने सहित जहां जरूरी हो अन्य ऐसे मामलों पर विचार करना तथा सिफारिशें देना जिन्हें समिति लघु उद्यम विकास के लिए उचित समझती हो।

समिति काम में अपनी कार्यविधि अपनायेगी तथा किसी भी इच्छुक पार्टी से, जिसे वह उचित समझे, साक्ष्य ले सकती है। इसे सरकार को अपनी रिपोर्ट तीन माह के अंदर दे देनी चाहिए।

ब्रह्म दत्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries)

RESOLUTION

New Delhi, the 29th December, 1995

F.No.13(24)/95-SSI(P).—An elaborate set of policies, programmes and institutions has evolved over the past four decades for providing government support for the promotion of small industries in India. The Government have, in the meantime implemented a programme of economic reforms including industrial and trade policy reforms whose objectives have been to eliminate bureaucratic control and protectionist measures, allow greater play to the market forces in shaping entrepreneurial decision-making and promote competition. Globalisation and change in technology are also emerging as the major forces that will modify and mould the environment for small business and entrepreneurship over the next decade and beyond. Small enterprises in many branches of the service sector, are fast emerging as provider of employment and contributors to export-led development which necessitates reconsideration of the view that the policies for small enterprise development should concentrate on the manufacturing sector. It is, thus, necessary to address the need for reforms in the existing policies and design new policies for small and medium enter-

prises (SME) development which will facilitate the growth of viable and efficient enterprises that can adjust to technological change and remain internationally competitive.

It has, therefore, been decided to constitute an "Expert Committee on Small Enterprises" which will go into these issues in depth and make its recommendations to the Government. The Committee will consist of the following:—

1. Shri Abid Hussain, (former Member Planning Commission). — Chairman
2. Dr. R.A. Mashelkar, Director General, Council of Scientific and Industrial Research. — Member
3. Shri H.C. Gandhi, (former Secretary, Technical Development, Ministry of Industry, Government of India). — Member
4. Shri J.V. Shetty, Chairman and MD Canara Bank. — Member
5. Dr. J.S. Sandesara, Hony. Professor, Department of Economics, University of Bombay. — Member
6. Dr. V.G. Patel, Director, Entrepreneurship Development Institute, Ahmedabad. — Member
7. Dr. Sailendra Narain, Managing Director, Small Industries Development Bank of India. — Member
8. Shri S.A.T. Rizvi, Development Commissioner (Small Scale Industries), Govt. of India. — Member
9. Dr. Rakesh Mohan Economic Adviser, Ministry of Industry. — Member-Secretary

The terms of reference of the Committee will be as follows:—

(i) To examine the promotional and protective policies and direct assistance programmes for small industry development, assess their impact and efficacy and in the light of international experience and recent economic policy reforms, suggest appropriate changes with the objective of creating an efficient, viable and dynamic small enterprise sector in the Indian economy.

(ii) To review the definitions, legal framework and the heterogenous composition of the small industry sector and make recommendations for bringing about changes as may be appropriate for the realisation of the objectives outlined above, and in particular advise if the different segments of the small firms (such as village industries and modern small industries) may be covered by the same policy package or separate sets of policies may be prescribed keeping in view their different characteristics and requirements.

(iii) To examine the efficacy and desirability of the small industry reservation policy, assess its impact on the growth of small enterprises from the point of view of viability, efficiency, competitiveness and exposure to technical change and progress and make appropriate recommendations.

(iv) To advise, in the light of international experience, if the small enterprise development policies should be restricted to the manufacturing sector or these should also cover small enterprises in the business and service activities.

(v) To examine the present arrangements and sources for the collection, compilation, dissemination and analysis of the data on small enterprises with a view to assessing their quality, consistency and reliability and make appropriate recommendations.

(vi) To review the present institutional arrangements for the transfer and dissemination of technological and technical information to small and medium enterprises (SMEs), assess the quality of the available advisory and extension services, examine the necessity and possibility of placing these more and more in non-governmental organisations and private service (consultancy) sector and make appropriate recommendations.

(vi)i To examine the existing institutional arrangement and the policies and programmes for meeting the long term and short-term financial requirements of the small enterprises examine their effectiveness, particularly in meeting the requirements of the innovative and technology-oriented firms and the first-

generation entrepreneurs and in the light of the practices followed and instruments adopted in other successful economies, make appropriate recommendations.

(viii) To view the impact of various fiscal policies and tax concessions on small enterprise development, examine their role in enabling the small firms to exploit their potential and grow into medium/large enterprises and make suitable recommendations.

(ix) To examine the impact of various regulatory laws and procedures such as the labour laws, the Factories Act, the Industrial Disputes Act and the Environment Protective Act on the small firms and the ability of these enterprises to meet various requirements under these laws and procedures and make appropriate recommendations.

(x) To consider and make recommendations on such other matters as the Committee considers relevant for small enterprise development including changes in legislation where necessary.

The Committee will adopt its own procedure of work and may take evidence from any interested party, as deemed proper. It should submit its report to the Government within three months.

BRAHM DUTT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996